प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 100/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा के ऑनलाइन मोड के माध्यम से उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम

नई दिल्ली, 21 दिसंबर 2020: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने अपने क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल के माध्यम से, उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए 17 दिसंबर, 2020, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद के माध्यम से, ओडीसा के उपभोक्ताओं के लिए 17 दिसंबर, 2020 एवं क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के माध्यम से, राजस्थान के उपभोक्ताओं के लिए 18 दिसंबर, 2020 को ऑनलाइन मोड के माध्यम से वर्चूअल उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रमों का आयोजन किया।

2. भादूविप्रा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और उपभोक्ता जागरूकता उत्पन्न करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भादूविप्रा देश के विभिन्न हिस्सों में उपभोक्ता संपर्क कार्यक्रम आयोजित करता है। कोविड -19 महामारी को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम ऑनलाइन मोड के माध्यम से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है, इसमें उपभोक्ता अपने घर, दुकान या कार्यालय से भाग ले सकते हैं।

3. कार्यक्रमों के दौरान, उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाओं के विभिन्न पहलुओं यथा टैरिफ, मूल्य संवर्धित सेवाओं (वीएएस), डेटा सेवाओं, अनचाहे वाणिज्यिक संचार (यूसीसी), मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, शिकायत निवारण प्रणाली, आदि के संबंध में उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। उपभोक्ताओं को भादूविप्रा द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बनाए गए विभिन्न मोबाइल ऐप्स यथा ट्राई माय-स्पीड ऐप, ट्राई माई-कॉल ऐप और डीएनडी 2.0 ऐप के लाभ के बारे में भी बताया गया। और यह भी बताया गया कि कैसे उपभोक्ता इन ऐप और ट्राई एनालिटिक पोर्टल का लाभ उठा सकते हैं। उपभोक्ताओं को विभिन्न कपटपूर्ण गतिविधियों के बारे में भी बताया गया जैसे टॉवर धोखाधड़ी, आईएसडी नंबरों से मिस्ड कॉल और बताया कि इन धोखाधड़ी से कैसे बचे रह सकते हैं। उपभोक्ताओं को प्रसारण एवं केबल टीवी विनियमों के हाल के संशोधनों के बारे में भी बताया गया।

4. उत्तरप्रदेश के कार्यक्रम में राज्य के टेलीकॉम उपभोक्ताओं के अलावा, राज्य के विभिन्न गाँवों से बड़ी संख्या में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) प्रभारियों (उपभोक्ताओं), उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न कॉलेजों के छात्रों एवं शिक्षकों, ग्रामीणों, किसानों, सरकार और जनता के अधिकारियों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। नियमित सीओपी के अलावा, विषय विशेषज्ञ प्रो. रशीद शेख द्वारा "इंटरनेट सुरक्षा" पर एक प्रस्तुति भी दी गई। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान, श्री विनोद

गुप्ता, सलाहकार, भादूविपा और उनकी टीम द्वारा प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

5. ओडिशा के सीओपी में ओडिशा राज्य के दूरसंचार उपभोक्ताओं, ओडिशा के विभिन्न स्थानों से बड़ी संख्या में स्थानीय उपभोक्ता मंचों, ट्राई के साथ पंजीकृत उपभोक्ता समर्थक समूहों (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, सरकारी और निजी संगठनों के अधिकारियों, ओडिशा भर में विभिन्न इंजीनियरिंग और प्रबंधन कॉलेजों के छात्रों, किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में, विषय विशेषज्ञ डॉ सोनल मोबल रॉय द्वारा "शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक नेटवर्क और क्राउडसोर्सिंग में आईटी" विषय पर एक प्रस्तुति भी दी गई। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान, श्री ए.मुनिसेखर, सलाहकार, भादूविपा , हैदराबाद द्वारा प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए।

7. राजस्थान के कार्यक्रम में, राजस्थान के उपभोक्ताओं के अतिरीक्त, उपभोक्ता पक्षसमर्थक समूह (सीएजी) के प्रतिनिधियों, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों, विभिन्न कॉलेजों के छात्रों एवं शिक्षकों और राज्य सरकार के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में श्री लियाकत अली, सचिव उपभोक्ता मार्गदर्शन समिति द्वारा "उपभोक्ता जागरूकता = सशक्त उपभोक्ता:- अपने दैनिक जीवन में काम आने वाले उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जानें" पर एक प्रस्तुति दी गई। इंटरैक्टिव सेशन के दौरान, श्री विनोद गुप्ता, सलाहकार, भादूविपा और उनकी टीम द्वारा प्रतिभागियों के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर दिए गए। टीएसपी के प्रतिनिधियों ने भी उपभोक्ताओं के कुछ सवालों के जवाब दिए।

8. किसी भी स्पष्टीकरण के लिए श्री संजीव बांझल सलाहकार (सीए एंड आईटी), भादूविप्रा से टेलीफोनः 011-23210990 या ईमेल आईडीः advisorit@trai.gov.in द्वारा संपर्क किया जा सकता है।

(एस.के.गुप्ता)
सचिव, भादूविप्रा